प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 24.05.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 258 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 258 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के अभियान के क्रम में फरार अभियुक्त के घर की गई कुर्की की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई। थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 277/25 धारा 2b(1),3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शराकत पुत्र राजमून उर्फ लंबू निवासी परदशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के घर दबिश दी गई परन्तु अभियुक्त मौके पर उपस्थित नहीं मिले। दबिश के उपरान्त माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 12.05.2026 को जारी धारा 85 बीएनएसएस के आदेश के क्रम में दिनांक 24.05.2026 को अभियुक्त के घर में उपलब्ध चल सम्पत्तियों की कुर्की की कार्यवाही विधि सम्मत रूप से की गई।

कुर्की के समय उपस्थित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण-
प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अल्ताफ, उ0नि0 श्री रामजतन, हे0का0 मो0युसुफ ,का0 प्रदीप कुमार पटेल, का0 आदर्श प्रताप सिंह, म0का0 दिव्यांशी, म0का0 ज्योति पासवान।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट कर के मामलें में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

आज दिनाँक 24.05.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में** जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक गतिविधियों पर निगरानी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत **थाना बखिरा पुलिस** द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में 01 अभियुक्त नाम पता अभिजीत पुत्र शिवदास निवासी काटामान सिंह थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक **20.05.2026** को थाना बखिरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काटामान सिंह के निवासी अभिजीत (पुत्र शिवदास) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिन्दू देवी-देवताओं के सम्बन्ध में एक अत्यंत आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। इस आपत्तिजनक पोस्ट के कारण थाना स्थानीय में तनाव व्याप्त होने तथा लोक शांति व्यवस्था प्रभावित होने की गंभीर संभावना उत्पन्न हो गयी थी।

पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही:

उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए थाना बखिरा पुलिस टीम द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिजीत (उपरोक्त) को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु **धारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस (BNSS)** के अंतर्गत गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना गया।

न्यायालय द्वारा विधिक आदेश:

गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मेहदावल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता, गंभीरता एवं लोक शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में अभियुक्त को कारागार भेजा गया।